पत्र संख्या / एफ0टी0. 48–3760 / 2018(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1 9 MAY 2022

विषयः **Diversion of 0.0357 hectare of forest land for the construction of office building of Home Guard 2/4 Company at Kumarsain, within the jurisdiction of Kotgarh Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh, (Online Proposal No. FP/HP/Others/34070/2018).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B/HP/09/79/2020/FC/1230 दिनांक 11/03/2020 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपुरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 1142 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।
4. प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है।
5. **शुद्व वर्तमान मूल्यः**
   क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। प्रति संलग्न है।
   ख) शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।
6. एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. The user agency has been asksed to submitted revised layout showing the dsign of the proposed building. As and when is received, the same will be provided to your office.
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख–रेख में रोपित कर Greeneary को maintain करने के बाबत undertaking संलग्न है।
9. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक पर निर्णय लेने के पश्चात ही अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के आदेश जारी करेगी।
10. प्रयोक्ता अभिकरण ने सहमति जताई है कि प्रस्तावित वन भूमि पर पेडों की कटाई नही की जाएगी।
11. आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवो को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
12. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोॅटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी 16,380/– रु0, शुद्व वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी 27,954/– रु0, जो कुल 41,334/– रु0 बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है।

13. इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
14. केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। जिसकी बचन वद्वता संलगन है।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।
17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपोग नही किया जाएगा।
19. केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।
20. इनमें से किसी भी शर्त का या वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।
21. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय–समय पर निर्धारितशर्ते मान्य होगी।
22. इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
24. अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्त

नोड़ल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0

पृष्ठांकन संख्या0 एफ0 टी0 48–3760/2018(एफ0सी0ए0) दिनांक शिमला–1

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. मुख्य अरण्यपाल रामपूर, जिला शिमला, हि0प्र0 के पत्र सं0 67 दिनांक 05.04.2022 के सर्न्दभ में।
2. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कोटगड़, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
3. ADG-Cum commandant General Home Guard/Civil Defence & Fire Service, US Club, Shimla, Himachal Pradesh.

नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

NEFT RTGS CHALLAN

Annexure-B

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-11-2021

Agency Name.	ADG CUM COMMANDANT GENRAL HOME GUARD CIVIL DEFENCE HIMACHAL PRADESH SHIMLA
Application No.	19934070390
MoEF/SG File No.	8B/HP/09/79/2020/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	ADG- Cum- Commandant General Home Guard/Civil Defence & Fire Services U. S. Club Shimla-1Shimla
Amount(in Rs)	41334/-

Amount in Words :Forty-One Thousand Three Hundred and Thirty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507019934070390 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-11-2021

Agency Name.	ADG CUM COMMANDANT GENRAL HOME GUARD CIVIL DEFENCE HIMACHAL PRADESH SHIMLA
Application No.	19934070390
MoEF/SG File No.	8B/HP/09/79/2020/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	ADG- Cum- Commandant General Home Guard/Civil Defence & Fire Services U. S. Club Shimla-1 Shimla
Amount(in Rs)	41334/-

Amount in Words :Forty-One Thousand Three Hundred and Thirty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507019934070390 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

(12)

E-CHALLAN

Government Of HImachal Pradesh

Department of Finance — Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto 27-Dec-2021 — **Remmiter Copy**

HIMGRN **B21L126208** Date 21-12-2021 03:28:38PM

Department Forest

BarCode

Period 21-12-2021 To 21-12-2021

DDO SML11-833- FOREST DIVISION KOTGARH

Head	**₹Amount**
0406-01-800-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTME	2720
Total/Net Amount	**2720**

In words Two Thousand Seven Hundred Twenty

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENTS TO COMPENSATION FORESTATION -DEPARTMENTAL CHARGES FEE OF CONSTRUCTION OF 2/4 HOME GUARD COMPANY AT KUMARSAIN

Remitter Name:- DFO KOTGARH

Address:- DIVISIONAL FOREST OFFICER, KOTGARH FOREST DIVISION, HP Mob: 8580927856

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No — **HIMGRN** B21L126208

Amount ₹ **2720**

Bank MANAGER, PNB KUMARSAIN

Cheque-DD-No.

5/1/21

23/12/2021

Annexure-A

Undertaking for condition No. 1

I undertake that the Legal status of the proposed forest land for the construction of 2/4 Home Guard Company Kumarsain shall not be changed.

Date: 26-11-2021
Place: Shimla

(R.P. Nepta)
Commandant Home Guards
2nd Battalion Shimla-171002
0177-2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Annexure-C

Undertaking for condition No. 5(ख)

I undertake that the department will deposit the additional amount of net present value of forest land being diverted in the name of Home Guard Department for the construction 2/4 Home Guard Company Kumarsain, if such amount is required by the Govt, after receipt of report of Committee of specialist on the direction of Supreme Court of India.

Date: 26-11-2021
Place: Shimla

(R.P. Nepta)
Commandant Home Guards
2nd Battalion Shimla-171002
0177-2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Annexure-1

Undertaking for condition No. 2

प्रमाणित किया जाता है कि परिजनों के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

(आर.पी नेपटा)
आदेशक गृह रक्षा
द्वितीय वाहिनी शिमला–2
0177–2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division

Undertaking for condition No. 4

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर आवश्यकतानुसार प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, समीकान और स्तंभन की लागत परियोजना अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्य के लिए प्रत्यशित लागत विधि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाएगें ।

(आर.पी नेपटा)
आदेशक गृह रक्षा
द्वितीय वाहिनी शिमला–2
0177–2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division

Undertaking for condition No. 11

प्रमाणित किया जाता है कि आस–पास के क्षेत्र के वनसपतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

(आर.पी नेपटा)
आदेशक गृह रक्षा
द्वितीय वाहिनी शिमला–2
0177–2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division

Annexure-D

Undertaking for condition No. 10

I undertake that the felling of the trees shall be subject to the minimum numbers in the diverted/proposed forest land for the construction 2/4 Home Guard Company Kumarsain under strict supervision of the State Forest Department.

Date: 26-11-2021
Place: Shimla

(R.P. Nepta)
Commandant Home Guards
2nd Battalion Shimla-171002
0177-2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Annexure-E

Undertaking for condition No. 14

I undertake that the layout plan of the proposed forest land for the construction of 2/4 Home Guard Company Kumarsain shall not be changed without prior approval of the Competent Authority .

Date: 26-11-2021
Place: Shimla

(R.P. Nepta)
Commandant Home Guards
2nd Battalion Shimla-171002
0177-2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Annexure-F

Undertaking for condition No. 15

I undertake that the no labour camp shall be established on proposed forest land for the construction of 2/4 Home Guard Company Kumarsain.

Date: 26-11-2021
Place: Shimla

(R.P. Nepta)
Commandant Home Guards
2nd Battalion Shimla-171002
0177-2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Annexure-G

Undertaking for condition No. 16

I undertake that sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided to the labrourer after purchasing the from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel, during the construction of 2/4 Home Guard Company Kumarsain on proposed forest land.

Date: 26-11-2021
Place: Shimla

(R.P. Nepta)
Commandant Home Guards
2nd Battalion Shimla-171002
0177-2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Undertaking for condition No. 13

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रर्यावरणिय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी ।

(आर.पी नेपटा)
आदेशक गृह रक्षा
द्वितीय वाहिनी शिमला–2
0177–2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Di...

Undertaking for condition No. 17

प्रमाणित किया जाता है कि समन्धित प्रभागय वन अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को प्रयोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

(आर.पी नेपटा)
आदेशक गृह रक्षा
द्वितीय वाहिनी शिमला–2
0177–2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Undertaking for condition No. 20

प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी ।

(आर.पी नेपटा)
आदेशक गृह रक्षा
द्वितीय वाहिनी शिमला–2
0177–2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Annexure-H

Undertaking for condition No. 18

I undertake that the proposed forest land for the construction of of 2/4 Home Guard Company Kumarsain on shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

Date: 26-11-2021
Place: Shimla

(R.P. Nepta)
Commandant Home Guards
2nd Battalion Shimla-171002
0177-2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Annexure-I

Undertaking for condition No. 19

I undertake that the proposed forest land for the construction of 2/4 Home Guard Company Kumarsain shall not be transferred to any other Agency, Department or person, in any circumstances, without prior approval of the Govt. of India.

Date: 26-11-2021
Place: Shimla

(R.P. Nepta)
0Commandant Home Guards
2nd Battalion Shimla-171002
0177-2621467

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

Undertaking for condition No. 21

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वनयजिवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू की जाएगी ।

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

(आर.पी नेपटा)
आदेशक गृह रक्षा
द्वितीय वाहिनी शिमला–2
0177–2621467

Undertaking for condition No. 22

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावेशक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातीयों के पौधे लगाकर मलवा निस्तार्ण क्षेत्रा को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दिवारे बनाई जएगी। निसतारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका सिथिरीकारण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ।

Divisional Forest Officer
Kotgarh Forest Division H

(आर.पी नेपटा)
आदेशक गृह रक्षा
द्वितीय वाहिनी शिमला–2
द0177–2621467